न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी डॉ. एल.एन. बुनकर (आर.ए.एस.)

दावा संख्या– 84/2018
वाद प्रस्तुति दिनांक :–10.07.2018
निर्णय दिनांकः– 11.10.2019

उनवान

1. भंवरलाल पुत्र श्रवण जाति–जाट, निवासी ग्राम–चौगाई, तहसील–पीपलू , जिला–टोंक
2. प्रहलाद पुत्र श्रवण जाति–जाट, निवासी ग्राम–चौगाई, तहसील–पीपलू , जिला–टोंक

वादीगण

बनाम

1. रामू पुत्र श्रवण जाति–जाट, निवासी ग्राम–चौगाई, तहसील–पीपलू , जिला–टोंक
2. बन्ना पुत्र श्रवण श्रवण जाति–जाट, निवासी ग्राम–चौगाई, तहसील–पीपलू , जिला–टोंक
3. राजेश पुत्र श्रवण जाति–जाट, निवासी ग्राम–चौगाई, तहसील–पीपलू , जिला–टोंक
4. भरतलाल पुत्र जगदीश जाति–जाट, निवासी ग्राम–चौगाई, तहसील–पीपलू , जिला–टोंक
5. मीरा बेवा जगदीश जाति–जाट, निवासी ग्राम–चौगाई, तहसील–पीपलू , जिला–टोंक
6. मीरा पुत्री श्रवण जाति–जाट, निवासी ग्राम–चौगाई, तहसील–पीपलू , जिला–टोंक
7. मंजू देवी पत्नि महावीर प्रसाद जैन जाति–महाजन निवासी ग्राम चौगाई तह0 पीपलू जिला–टोंक
8. श्योजी पुत्र रामरतन जाति–जाट निवासी ग्राम–चौगाई तह0–पीपलू, जिला–टोंक
9. तहसीलदार, पीपलू जिला–टोंक
10. बडौदा राज0 ग्रामीण बैंक शाखा, राणोंली
11. बैंक ऑफ बडौदा शाखा, लावा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् तकास्मा आराजीयात

अधिवक्ता वादीः– श्री सी.बी. गुर्जर
अधिवक्ता प्रतिवादीगणः– श्री रामअवतार चौधरी

निर्णय दिनांकः–11.10.2019

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में तहसीलदार पीपलू से दिनांक 20.06.2019 को चाही गई तकास्मा रिपोर्ट दिनांक 09.10.2019 को दो–दो प्रतियों में पेश की जा चुकी है। जो शामिल पत्रावली है।

पक्षकारान की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली व प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

पत्रावली में प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट पर पक्षकारान् के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी हैं। न्यायालय में उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित हैं। अधिवक्तागण श्री सी.बी. गुर्जर एवं श्री रामअवतार चौधरी ने तकास्मा रिपोर्ट से सहमत होते हुए तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया हैं।

अतः दावा बाबत् तकास्मा स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट आराजी ख0न0 301/1 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा, ख0न0 307/3 रकबा 11 बिस्वा, ख0न0 311 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, ख0न0 313 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, ख0न0 333 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, ख0न0 335 रकबा 18 बिस्वा, ख0न0 343 रकबा 10 बिस्वा ख0न0 359/3 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, ख0न0 511/3 रकबा 17 बिस्वा, ख0न0 522/3 रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 334 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम चौगाई की भूमि प्रतिवादी न0 8 श्योजी पुत्र रामरतन के नाम रहेगी। आराजी ख0न0 522/2 रकबा 08 बिस्वा, ख0न0 511/2 रकबा 09 बिस्वा, ख0न0 943/3 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, ख0न0 944/1 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम चौगाई की भूमि वादी न0–01 भंवरलाल पुत्र श्रवण के नाम रहेगी। आराजी ख0न0 301/4 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 522/1 रकबा 04 बिस्वा, ख0न0 511/1 रकबा 09 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा भूमि वाके ग्राम चौगाई वादी न0–2 प्रहलाद पुत्र श्रवण के नाम रहेगी। ख0न0 332 रकबा 10 बिस्वा, ख0न0 348/2 रकबा 11 बिस्वा, ख0न0 943/2 रकबा 16 बिस्वा, 359/2 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम चौगाई की भूमि प्रतिवादी न0–1 रामु उर्फ रामलाल पुत्र श्रवण के नाम रहेगी। आराजी ख0न0 337 रकबा 09 बिस्वा, ख0न0 348/1 रकबा 12 बिस्वा, ख0न0 943/1 रकबा 16 बिस्वा, ख0न0 359/1 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम चौगाई की भूमि प्रतिवादी संख्या–2 बन्ना पुत्र श्रवण के नाम रहेगी। आराजी ख0न0 345 रकबा 19 बिस्वा, ख0न0 307/2 रकबा 01 बीघा, ख0न0 301/2 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम चौगाई की भूमि प्रतिवादी संख्या–3 राजेश उर्फ राजाराम के नाम रहेगी। ख0न0 342 रकबा 14 बिस्वा, ख0न0 347 रकबा 09 बिस्वा, ख0न0 307/1 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, ख0न0 301/3 रकबा 05 बिस्वा वाके ग्राम चौगाई की भूमि प्रतिवादी संख्या–4 भरतलाल पुत्र जगदीश व प्रतिवादी संख्या–5 मीरा पत्नि जगदीश के नाम दर्ज रहेगी। ख0न0 943/4 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम चौगाई की भूमि प्रतिवादी संख्या–7 मंजू देवी पत्नि महावीर प्रसाद जैन के नाम रहेगी। ख0न0 831 रकबा 02 बिस्वा किस्म गै0मु0 बाड़ा वाके ग्राम चौगाई की भूमि प्रतिवादी संख्या–01, 02 के नाम हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या–08 के नाम हिस्सा 1/2 संयुक्त रूप से रहेगी। आराजी ख0न0 346 रकबा 03 बिस्वा गै0मु0 चाह वाके ग्राम चौगाई की भूमि प्रतिवादी न0 01 ता 03 के नाम हिस्सा 3/8 व प्रतिवादी न0 04 ता 05 के नाम हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी न0 08 के नाम हिस्सा 1/2 संयुक्त रूप से रहेगी। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें एवं नक्शा शीट तकास्मा अनुसार तरमीम करें। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हों। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न भाग हैं। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(डॉ. एल.एन. बुनकर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)